तारीख	आदेश और पदाधिकरी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी और तारीख सहित
1	2	3

न्यायालय अन्तर्गत अनुमंडल पदाधिकारी,राजमहल।

पी0ए0 वाद सं0–05/2018–19

आवेदक– चांदु पहाड़िया

बनाम

16 आना रैयत, मौजा– चटकी

आदेश

2-06-18 प्रस्तुत पी0 ए0 वाद सं0 05/2018–19, अंचल अधिकारी, तालझारी के पत्रांक सं0– 224/रा0 दिनांक 24.05.2018 से संतुष्ट होकर वाद की कार्यवाही प्रारंभ करते हुए मौजा चटकी के 16 आने रैयतो को विधिवत् नोटिश निर्गत कर आपत्ति आमंत्रित की गई ।

नोटिश तामिला प्रतिवेदन प्राप्त हुआ। मौजा– चटकी के 16 आने रैयतों के द्वारा किसी भी प्रकार की आपत्ति दर्ज नहीं की गयी।

आवेदक को सुना। उनहोने बताया कि मौजा चटकी के पूर्व प्रधान स्व0 गांगु पहाडिया थे जो मेरे पिता थे। उनकी मृत्यु हो जाने के पश्चात् उक्त मौजा के कार्यवाहक प्रधान के रूप में मैं स्वयं कार्य कर रहा हूँ एवं मौजा का प्रधानी पद रिक्त है। उनके द्वारा मौजा– चटकी. के रिक्त प्रधान पद पर नियुक्ति हेतु अनुरोध किया है।

अंचल अधिकारी तालझारी ने पत्रांक 224/रा0 दिनांक 24.05.2018 के द्वारा जाँच प्रतिवेदन में प्राप्त। जाँच प्रतिवेदन में उल्लेख किया है कि आवेदक चांदू पहाड़िया पिता स्व0 गांगु पहाड़िया सा0– देवपहाड थाना– बोरियो जिला– साहेबगंज के द्वारा दाखिल आवेदन पत्र की स्थलीय जाँच की गई मौजा चटकी बंगला महराजपुर के अन्तर्गत बेचिरागी मौजा है। आवेदक उक्त मौजा के जमाबंदी रैयत के वंशज है लेकिन पूर्व बहाल प्रधान स्व0 मैसा पहाडिया के वंश से नही आते है। आवेदक शिक्षित एवं प्रधानी के कार्य करने के योग्य है से संबंधित जाँच प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है।

अतः आवेदक के आवेदन पत्र एवं अंचल अधिकारी तालझारी के प्रतिवेदन के अवलोकन से प्रतीत होता है कि पूर्व बहाल प्रधान स्व0 मैसा पहाडिया के वारिसान वर्त्तमान में जिवित है या नही तथा आवदेक उक्त मौजा का कार्यवाहक प्रधान के रुप में कब से कार्य कर रहा है, से संबंधित स्पष्ट प्रतिवेदित नही है। अतएव आदेश की प्रति अंचल अधिकारी, तालझारी को पूर्व बहाल प्रधान के वंशज एवं आवेदक के द्वारा उक्त मौजा में कितने वर्षो से कार्यवाहक प्रधान के रुप में कार्य कर रहे है, से संबंधित सुस्पष्ट जाँच प्रतिवेदन हेतु भेजे।

लेखापित एवं संशोधित

22/6/18

अनुमंडल पदाधिकारी,
राजमहल

22/6/18

अनुमंडल पदाधिकारी
राजमहल

ज्ञापांक 267/ख 8-8-18

Scanned with CamScanner